14.5.22	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादीगण एवं वकील वादी उप. प्रति. सं. 1 व 2 स्वयं उप. है प्रति सं. 1 व 2 की ओर से हेमन्त नागर ने वकालतनामा मय इकरारनामा जवाब पेश किया। प्रतिसं. 3 पेशीमालन उप. है तथा पेशीमाल सा. ने संविदा प्रमाणित नहीं करवाया है अतः प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा जवाब एवं पेशीमालन के जवाब एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत अवलोकन का अवलोकन करने पर, लोक अदालत को मामला में राजीनामा किया जाना उचित प्रतीत होने से, अतः वादीगण स्वीकार किया जाता है ... निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर ... किया गया। पत्रावली फैसल शुमार किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	3 पूरणमल अ.का. गाडरीवार प्रकरण में राजीनामा प्रमाणित करवाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 57/2022 | तारीख दायरा 13.05.2022

उनवान

1. बद्रीलाल पुत्र सेवा जाति बलाई निवासी कमोलर तहसील सांगोद।
2. पप्पू उर्फ प्रभुलाल पुत्र सेवा जाति बलाई निवासी कमोलर तहसील सांगोद।

— वादीगण

बनाम

1. उदालाल पुत्र सेवा जाति बलाई निवासी कमोलर तहसील सांगोद।
2. गायत्री बाई बेवा रामप्रसाद जाति बलाई निवासी कमोलर तहसील सांगोद।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । — प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 209 आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :—

श्री मनोज वैष्णव (वकील वादीगण) | दिनांक :— 14.05.2022

श्री हेमन्त नागर (वकील प्रतिवादीगण)

— — निर्णय — —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 2 के शामलाती कब्जे काश्त की आराजीयात [illegible] कमोलर तह0 सांगोद कि खाता सं0 नया 18 पुराना 12 की खसरा सं0 1257 [illegible] खसरा सं0 1258 कि 0.98 है0 कुल दो किता कि 1.23 है0 आराजीयात स्थित है [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा निहित है । व[illegible]गण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका पारिवारीक शजरा निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:37 IST
Reason: SelfAttested

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

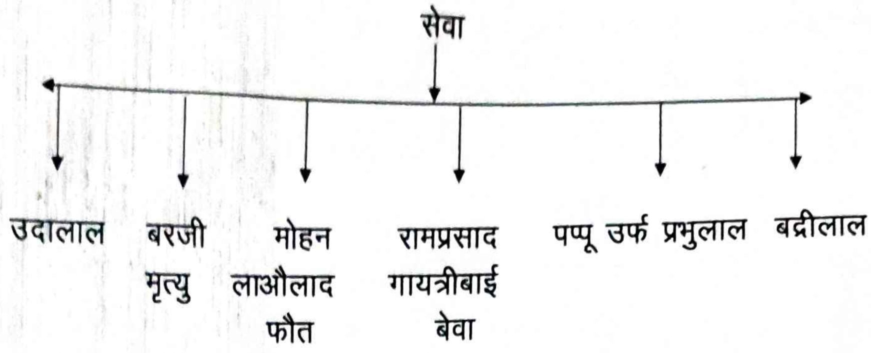

वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 के पिता स्व0 सेवा को वर्ष 1976 में माल ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा की खसरा सं0 738 क्षेत्रफल 7.68 बीघा गैर खातेदारी आराजीयात आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के पश्चात खातेदार सेवा का इंतकाल हो जाने के बाद नामान्तरण सं0 408 से सेवा जी के विधिक वारिसान बरजी बेवा सेवा, उदा, रामप्रसाद, मोहन, बद्रीलाल, पप्पू उर्फ प्रभूलाल का नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ। इसके बाद की राजस्व जमाबंदियों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से सेवा के वारिसों में से बद्रीलाल व पप्पू उर्फ प्रभुलाल वादीगण का नाम डिलीट कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर न्यायालय में वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा का वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की माता बरजीबाई का स्वर्गवास दिनांक 11.10.2011 को हो जाने एवं वादीगण का भाई मोहन लाऔलाद फौत हो जाने के कारण उनका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में से हटाया जाना वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है तथा साथ ही वादीगण के भाई रामप्रसाद का 3.1.2022 को मृत्यु हो जाने के बाद उसके एक मात्र वारिस बेवा प्रतिवादी सं0 2 गायत्री बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है।वादीगण के बाल्यकाल में ही उनके पिता स्व0 सेवा पुत्र गणेशराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद गांव वालों से जानकारी करने के बाद राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सेवा के वारिसान के रूप में वादी सं0 2 प्रभूलाल का बोलता नाम पप्पू दर्ज कर दिये जाने के बाद उसका शुद्ध नाम पप्पू के स्थान पर प्रभूलाल कराया जाने की घोषणा करना वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:37 IST
Reason: SelfAttested

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया है, उक्त वादीगण का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे तथा उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अमल दरामद किया जावे। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अन्य सहखातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की माता एव प्रतिवादी सं0 2 की सास बरजी बाई का स्वर्गवास दिनांक 11.10.2011 में हो जाने के कारण तथा सहखातेदार मोहन पुत्र सेवा लाऔलाद फौत दिनांक 06.06.2020 को हो जाने के कारण इनका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में से डिलीट किये जाने की घोषणा कि डिक्री पारित फरमाई जावे। अन्य सहखातेदारान रामप्रसाद पुत्र सेवा की दिनांक 03.01.2022 को स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके एक मात्र वारिसा बेवा गायत्री बाई {प्रतिवादी सं0 2} का नाम रामप्रसाद पुत्र सेवा के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावे। वादी सं0 1 के बाल्यकाल में ही उनके पिता स्व0 सेवा पुत्र गणेशराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद गांव वालों से जानकारी करने के बाद राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सेवा के वारिसान के रूप में वादी सं0 2 प्रभूलाल का बोलता नाम पप्पू दर्ज कर दिये जाने के बाद उसको शुद्ध कर प्रभुलाल कराया जाने की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री हेमन्त नागर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। दिनांक 14.5.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। प्रतिवादी सं. 3 ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना व्यक्त किया है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी, पहचान के दस्तावेज, इकबाली जवाब एवं जवाब सरकार इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:37 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम कमोलर तह0 [illegible] 18 पुराना 12 की खसरा सं0 1257 कि 0.23 है0 ,खसरा [illegible] कुल दो किता कि 1.23 है0 आराजीयात में से बरजी बाई बेवा सेवा एवं मोहन पु[illegible]सेवा की मृत्यु हो जाने के कारण

उप:जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

नाम डिलीट किया जावे। रामप्रसाद पुत्र सेवा की मृत्यु होने के कारण उनकी एकमात्र वारिस गायत्री बाई को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में वादी सं. 1 का गलत नाम पप्पू पुत्र सेवा को शुद्ध कर प्रभुलाल पुत्र सेवा अंकित किया जावे। विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहसक्त)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहसक्त)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:37 IST
Reason: SelfAttested